रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 1970/अग्रहायण 27, 1892

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 1970/AGRAHAYANA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December 1970

S.R.O. 30E.—In pursuance of section 12 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby specifies the Army Dental Corps, a corps forming part of the regular Army, as a corps in which females shall be eligible for employment on Short Service Commissions.

[File No. PC 23131/DGAFMS/DG/Dental.]

M. C. JOSHI, Dy. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 1970

का० नि० आ० 30-ई:—सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 12 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आर्मी डैंटल कोर को, जो कि नियमित सेना के एक भाग

के रूप में है, एक ऐसी कौर के रूप में उल्लिखित करती है जिसमें महिलाएं अल्प-कालीन सेवा कमीशन पर रोजगार पाने के लिए पात्र होंगी ।

[फा० सं० पी० सी० 23131/डी जी ए एफ एम एस/डी जी/डेन्टल]

एम० सी० जोशी, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979